International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.712 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 8, Issue 6, November 2021 |

ग्राम स्वराज्य एवं गांधी दर्शन

Dr.Prakash Chand Meena

Associate Professor, Political Science, Government College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan, India

सार

भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आम नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। भारतीय संसद और विधानसभा को केवल विधाई शक्तियां ही मिलनी चाहिए थी लेकिन संविधान में इन दोनों को प्रशासनिक शक्ति से विभूषित करके भारतीय जनमानस के साथ धोखा किया गया है। लोकतंत्र की विशेषता ही जनता को स्वनिर्णय की शक्ति प्रदान करना है। लेकिन भारतीय समाज की विडंबना है कि सभी लोकतांत्रिक शक्तियां संविधान के माध्यम से संसद और विधानसभाओं ने अपहृत कर ली है। इन दोनों की मूर्खता कहो अथवा लालच कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को बाईपास करके आम आदमी के लिए पीड़ा का कारण बन चुकी है।जहाँ राजनीतिक व्यवस्था ने भारतीय समाज को पूरी तरह विघटित तथा बर्बाद कर दिया है वही प्रशासनिक व्यवस्था ने विकास की राह में अड़ंगा लगाया है। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश के लिए सामाजिक, वैयक्तिक एवं चारित्रिक विकास के लिए व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी का भाव होना अति आवश्यक है। व्यक्ति का जिम्मेदार होना उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता की सीमा पर निर्भर करता है। आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनता का शासन व्यवस्था में सहभागी होना अनिवार्य होना चाहिए। शासन व्यवस्था में समाज की सहभागिता जनमानस के अंदर विकासपरक जिम्मेदारी लेकर आती है। जब आमजन शासन व्यवस्था में सहभागी होकर स्वविकास के निर्णय स्वयं करने लगता है उस स्थिति में राजनैतिक व्यवस्था उच्च प्रतिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर होने लगती है। सहभागी शासन व्यवस्था एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती है जिसमें समाज को शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस व्यवस्था में समाज का उत्तरदायित्व पूर्ण स्थान होता है वह एक आदर्श व्यवस्था कही जाती है। इस व्यवस्था में राजनीति समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और व्यक्ति के निर्णय लेने की स्वतंत्रता की सीमा देश की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से निर्धारित करती है। राजनीति को संविधान पर राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान समाज का चेहरा होता है जो समाज की प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि संविधान समाज की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है इसलिए संविधान पर समाज का अधिकार होना चाहिए ना कि राजनीति का। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का निर्धारण करना समाज का प्राकृतिक अधिकार है। यदि इस अधिकार को राजनीति अपहृत करती है तो यह अव्यवस्था और आरजकता का ही कारण बनता है। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा समाज को शासनिक एवम प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागी बनाने पर जोर देती है। शासन की ग्राम स्वराज्य परिकल्पना एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनैतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता अथवा तानाशाही जैसी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करती है। इस परिकल्पना को आदर्श लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की आदर्श स्वतंत्रता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ग्राम स्वराज राम राज्य व्यवस्था कीं पहली सीढ़ी है। राम राज्य मतलब सभी सुखों से परिपूर्ण समाज। परिपूर्ण समाज में स्व निणर्य वाली व्यवस्था ग्राम स्वराज से हि आ सकती है। ग्राम स्वराज का स्वरूप कैसे होगा? ग्राम स्वराज शासन कि सबसे छोटी इकाई होगी यह वर्तमान ग्राम सभा कि तरह क्षेत्र पंचायत ब्लॉक जिला पंचायत और D M के अधीन नही होगी यह प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार कि तरह स्वतंत्र होगी । यह व्यवस्था हर नागरिक कि भागीदारी पर चलेगी इस व्यवस्था में आम जन के सभी सुख दुख में ग्राम स्वराज कि पूर्ण भागीदारी होगी। यह व्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य आवास से जुड़ी सभी समस्या हल करेगी। कानून व्यवस्था से जुड़ें सभी मसले और विवाद ग्राम स्तर पर हल होंगें।

परिचय

गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का मूल उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन ध्येय एवं विचारों का प्रचार प्रसार करना है। राजघाट पर स्थित गांधी दर्शन और तीस जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति का समायोजन करके सितम्बर, 1984 में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया जो भारत सरकार के संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक परामर्श एवं वित्तिय समर्थन से कार्य कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसकीं गतिविधियों का मार्ग निर्देशन करने के लिए वरिष्ठ गांधीवादियों और विभिन्न सरकारी विभागों का एक निकाय है।[1] राजघाट पर गांधी दर्शॅन और 5 तीस जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति का समायोजन करके सितम्बर, 1984 में गांधी स्मृति एवं दर्शॅन समिति का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया जो भारत सरकार के संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक परामर्ष एवं वित्तिय समर्थन से कार्य कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसकीं गतिविधियों का मार्ग निर्देशन करने के लिए वरिष्ठ गांधीवादियों और विभिन्न सरकारी विभागों का एक निकाय है। समिति का मूल उद्देष्य विभिन्न सामाजिक- षैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन ध्येय एवं विचारों का प्रचार प्रसार करना है।

इसके दो परिसर हैः

(क) गांधी स्मृति

5 तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली, में पुराने बिड़ला भवन में स्थित गांधी स्मृति वह पावन स्थल है जहाँ पर 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की इह लोक लीला समाप्त हुई। इस भवन में महात्मा गांधी 9 सितम्बर, 1947 से 30 जनवरी, 1948 तक रहे थे। इस प्रकार पावन हुए इस भवन में गांधी जी के जीवन के अंतिम 144 दिनों की अनेक स्मृतियाँ संग्रहित हैं। पुराने बिड़ला भवन का भारत सरकार द्वारा 1971 में अधिग्रहण किया गया और इसे राष्ट्रपिता के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 15 अगस्त, 1973 को इसे जनसामान्य के लिए खोल दिया गया ।[2,3,4]

यहाँ संग्रहित वस्तुंओं में वह कक्ष है जिसमें महात्मा गांधी ने निवास किया था तथा वह प्रार्थना स्थल है जहाँ वह प्रत्येक दिन संध्याकाल में जन सभा संबोधित करते थे । इसी स्थल पर गांधीजी को गोलियों का षिकार बनाया गया। यह भवन तथा यहाँ का परिदृष्य उसी रूप में संरक्षित है जैसा उन दिनों में था।

इस स्मारक में निम्नलिखित पहलू संग्रहित हैं:

(क) महात्मा गांधी की याद ओर उनके पावन आदर्षो को प्रदर्षित करने वाले दृष्यात्मक पहलू (ख) गांधी को एक महात्मा बनाने वाले जीवन-मूल्यों की ओर गहनता से ध्यानाकर्षण कराने वाले षैक्षणिक पहलू और (ग) कुछ अनुभूत आवष्यकताओं को दिग्दर्षित करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए सेवाकार्य का पहलू।

संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा यहाँ बिताए गए वर्षों के संबंध में फोटोग्राफ, मूर्तियाँ, चित्र, भित्तिचित्र, षिलालेख तथा स्मृतिचिन्ह संग्रहित है। गांधीजी की कुछ निजी वस्तुएँ भी यहाँ सावधानीपूर्वक संरक्षित हैं।

नई सहस्राब्दि की परिरेखाओं को ध्यान में रखते हुए अधुनातन प्रौद्योगिकी के द्वारा महात्मा गांधी के जीवन और संदेष को जीवन्तरूप से प्रस्तुत करने वाली मल्टीमीडिया प्रदर्षनी प्रमुख आकर्षण हैं। भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने, जो समिति के अध्यक्ष भी हैं, इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। निर्धन तथा असहाय लोगों के लिए गांधीजी की सार्वभौमिक चिंता को प्रदर्षित करने वाली पृथ्वी की गोलाकृति से उभरती हुई मानवाकार से बड़ी महात्मा गांधी की मूर्ति, जिसके बगल में हाथों में कबूतर पकडे हुए एक बालक और एक बालिका है, मुख्य द्वार पर आगन्तुकों का स्वागत करती है। यह विख्यात मूर्तिकार श्री राम सुतार की कृति हैं। प्रस्तर मूर्ति के आधार मात्र में अंकित है ''मेरा जीवन ही मेरा संदेष है''।

जिस स्थल पर राष्ट्रपिता कों गोलियों का षिकार बनाया गया था वहाँ एक बलिदान स्तंभ स्थित है जो भारत के लम्बे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनुभूत सभी पीड़ाओं और बलिदानों के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी के आत्म बलिदान की यादगार है।[5,6,7]

(ख) अंतरराष्ट्रीय गांधी अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र

दूसरा परिसर राजधाट पर महात्मा गांधी समाधि के निकट स्थित है। छत्तीस एकड़ में फैला यह परिसर 1969 में महात्मा गांधी की षताब्दी के अवसर पर अस्तित्व में आया था। इस अवसर की यादगार के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय गांधी दर्षन प्रदर्षनी स्थापित की गई। परिसर भर में फेले हुए छह विषाल मण्डपों में विभाजित यह प्रदर्षनी महात्मा गांधी के षाष्वत संदेष ''मेरा जीवन ही मेरा संदेष है'' को जीवन्त करती हैं। इसके संस्थापको ने कल्पना की थी कि कालान्तर में यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक षैक्षणिक केन्द्र विकसित होगा। वर्तमान में इस केन्द्र में महात्मा गांधी के विषय में एक विस्तृत प्रदर्षनी, सम्मेलन कक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बैठकों के लिए आवासीय सुविधाएँ, एक पुस्तकालय, बाल-कोनाए फोटो एकक और प्रकाषन प्रभाग अवस्थित है।

समिति एक त्रैमासिक समाचार पत्रिका ÷गांधी दर्पण', ÷अनासक्ति दर्षन' नामक एक पत्रिका तथा ÷दि यमुना' द्यषीर्षक का बच्चों का एक समाचार पत्र का प्रकाषन करती है।[8,9,10]

(ग) कार्यक्रम (व्यवहार्य)

गांधी स्मृति एवं दर्षन समिति का मुख्य उद्देष्य विविध प्रकार की सामाजिक-षैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गातिविधियों के द्वारा महात्मा गांधी के जीवन, ध्येय और विचारों का प्रचार करना है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गो के बीच उन मूल्यों की प्रतिस्थापना की जाए जो राष्ट्रपिता को प्रिय थीं।

इसके अतिरिक्त समिति अपनी विविध गतिविधियों के माध्यम से समुदाय के लिए रचनात्मक कार्य की ओर लोगों को खास कर युवाओं को आकर्षित करती है। इक्कीसवीं षताब्दी को ध्यान में रखते हुए गांधी स्मृति ने अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं जों बच्चों,

युवाओं और महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वगोरं के लिए अभिप्रेत हैं। प्रयास यह भी है कि नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित समग्र विकास के लक्ष्य के प्रति युवाओं को तैयार किया जाए।

अहिंसा विष्व की अत्यन्त सक्रिय षक्तियों में से एक है। यह सूर्य के समान है जो प्रतिदिन अबाध रूप से उदित होता है। यह हम समझ लें तो यह करोड़ों सूयोरं से भी अधिक विषाल है। यह जीवन और प्रकाष, षांति और प्रसन्नता को विकर्णित करती है । (18 अप्रैल, 1929 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी।)[2,3,5]

विचार-विमर्श

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
उद्देश्य:-
योजना का उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि पंचायतों में आम-आदमी की भागीदारी की प्रोन्नति, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु सक्षम बनाना, जानकारी एवं पंचायतों की क्षमतावृद्धि हेतु पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, 73वां संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का पंचायतों को सुपुर्दगी, पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था के पंचायतों को सशक्त रूप देना है।
विस्तार:-
यह योजना देश के सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में चलाई जायेगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान / राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत दिये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार उक्त योजना में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु दीर्घयोजना बनायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग भी अपनी योजना बनाकर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी, जिन पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा सकेगा।[7,8,9]
मानव के अधिकार एवं कर्तव्य समाज में उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्हीं अधिकारों और कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न समाज सुधारकों ने तन-मन धन मानव अधिकारों की रक्षा में न्यौछावर कर विश्व ब्धुत्व पर विशेष बल दिया जिनमें महात्मा गाँधी, राजा राममोहन राय, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।
मानव अधिकारों के हक में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई की शुरुआत हाड़-मांस के एक समान्य से दिखने वाले इंसान ने दक्षिण अफ्रीका में रेलगाड़ी में सफर के दौरान की और अपनी अतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखा। आगे चलकर वही व्यक्ति जन-जन की चेतना बन महात्मा गाँधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाज को बदलने के लिए गाँधी ने स्वयं को बदल दिया था। अहिंसा को उन्होंने बुनियादी जीवन का मूल्य माना। सत्य को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है जिसका वार कभी निष्फल नहीं होता।
विश्व के विभिन्न मनीषियों, समाज सुधारकों ने के स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि गाँधी के बिना मानवाधिकार की संकल्पना अधूरी रह जाती है। मानवाधिकार की पृष्ठभूमि गांधी की दृष्टि और दर्शन का ही परिणाम हैं।"

भारतीय समाज में अधिकार और कर्त्तव्य

अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा के बीज भारतीय समाज में प्राचीन कल से ही उपस्थित रहे हैं। चौदहवीं-पन्द्रहवी शताब्दी से ही इस संकल्पना का प्रस्फुरण तत्कालीन समाज में व्याप्त चिन्तन में दृष्टिगत होता अहि। उसकी स्थापना मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए की गयी थी। सत्रहवीं शताब्दी में इसके विकास के संबंध में कुछ आशा की किरण दिखाई दी अरु उन आशा किरणों ने समाज में नई क्रांति के बीज के रूप में कुछ समाज सुधारकों ने जन्म लिया और उनहोंने इस का भार अपने सबल कंधों पर लेकर विश्व में शांति और समन्वय की स्थापना के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की। वैसे तो 18वीं-19वीं शताब्दी जिसे भारत के पुनरोत्थान का काल कहा जाता है, में सांस्कृतिक चिन्तन की अवधारणा के साथ-साथ मनुष्य के अधिकार और कर्तव्यों की अवधारणा के साथ-साथ मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य की आवधारणा को भी व्यापक जनसमर्थन मिला। इस शताब्दी में ऐसे मनीषियों, विचारकों, समाज सुधारकों और राष्ट्रभक्तों का आविभार्व हुआ जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें राजा राम मोहन राय, अब्राहम लिकंन, महात्मा गाँधी, नेल्सन मंडेला एंव मदर टेरेसा (18-19वीं शताब्दी में) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी नें कर्मप्रधान विश्व की संरचना करने में महत्वपूर्ण अवदान किया है। इन लोगों ने जगत को विश्व बन्धुत्व का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और समीचीन है।[9,10]
उपयुर्क्त पृष्ठभूमि में गांधीजी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। गाँधी जी के बारे में अल्बर्ट आइन्स्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढियां इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि हाड-मांस का ऐसा कोई इंसान इस धरती पर पहले कभी हुआ था।

e-Gram Swaraj App
ई स्वराज ऍप पंचायतो का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफार्म है | इसके माध्यम से भी देश के शहरी और ग्रामीण लोग पंचायतो की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है | देश के जो इच्छुक लाभार्थी पंचायतो की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको e-Gram Swaraj App को डाउनलोड कर सकते है और डाउनलोड करके ऍप पर लॉगिन करके इसका इस्तेमाल

कर सकते है | इस ऍप को डाउनलोड करने के बाद कोई भी नागरिक इस ऍप के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि उसकी पंचायत में क्या काम चल रहा है और कहा तक हो गया है | " प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान " के बारे में अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें

ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है ?

इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत ग्राम पंचायतो को डिजिटल बनाने के लिए गया है | आगे चलकर यह पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल सेंटर बनेगा | अब देश के लोग को अलग अलग जगहों पर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी इस ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल पर लोगो को पंचायतो को पूरी जानकारी जैसे विकास कार्य से लेकर खंड तक आदि जानकारी प्रदान की जाएगी | इस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिये पंचायत में चल रहे काम में पारदर्शिता आएगी | ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप को पंचायती राज के लिए कार्य-आधारित लेखांकन अनुप्रयोग सरल बनाया गया है। eGramSwaraj का उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

e-Gram Swaraj Portal /App के लाभ

- इ ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतो के सञ्चालन के लिए शुरू किया गया है |
- इस एप्लीकेशन के ज़रिये लोग पंचायत में चल रहे काम की निगरानी सरलता से की जा सकती है |
- इस ऍप और पोर्टल से न केवल पंचायतो की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी |
- ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारीजैसे सरपंचो ,पांचो , पंचायतो का सचित विवरण ,वित् वीरान ,परी सम्पति का विवरण , पंचायत विकास योजना मिशन अंत्योदय आदि एक ही स्थान पर मिल जाएगी |
- e-Gram Swaraj Portal पर डेटा एंट्री की संख्या को तर्कसंगत बनाया गया है | इसमें उपयोगकर्ता के लिए सरल नेविनशन भी है |
- पंचायत की जानकारी की सुविधा जनक और जड़ी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता नागरिक इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते है |
- इस ऍप के माध्यम से पंचायत के कार्यकलापों , गतिविधियों ,योजना निर्माण , बजट आवंटन , योजनाओ की निगरानी आदि की जा सकती है |

ई ग्राम स्वराज पोर्टल की विशेषताएं

- इस पोर्टल के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के सभी कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक अपना खाता बना सकता है और गांव के विकास कार्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- पंचायत सचिव और पंच के बारे में भी सभी विवरण इस पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।
- ई ग्राम स्वराज, पोर्टल के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।[2,3]
- ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से गांव और ग्रामीण क्षेत्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

स्वामित्व योजना

परिणाम

गांधीजी के लिए मानवाधिकार की संकल्पना

मानवाधिकार की संकल्पना बिना गाँधी के अधूरी है, क्योंकि मानवाधिकारों की सांस्कृतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि गांधी की दृष्टि और उसके दर्शन पर ही आधारित है। अहिंसा के पुजारी गांधी जी, सभी विचारों के बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित किया जहाँ से विश्व को व्यक्ति के मानवाधिकारों के लिए एक दिशा मिली।

गाँधी जी की मानवाधिकारों के लिए लड़ाई तब शुरू हुई जब दक्षिण अफ्रीका में उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, और उन्हें रेलगाड़ी में सफर नही करने दिया गया एवं उसके बाहर फ़ेंक दिया गया। तब उन्होंने वहाँ बसे भारतीय समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जाच पड़ताल की। उनहोंने वहाँ बसे भारतीय समुदाय के लोगों की मदद की ताकि वे भेदभाव के शिकार न हो सकें। एक सहमे हुए भारतीय वकील ने दबे और बेसहारा तथा अधिकारहीन लोगों को उनके मानव अधिकार दिलाने में महारत हासिल कर ली। उनहोंने प्रस्तुतिकरण में आत्मविश्वास हासिल किया एवं वे सर्वोच्च नयायालय में वकालत करने लगे। आने वाले कई हफ्तों तक उनके खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन एवं प्रतिरोध हुआ।

जब 1889 में बोर युद्ध हुआ तो उनहोंने करीब हजार लोगों का दस्ता तैयार किया जो युद्धभूमि में जाकर घायलों एंव अपंगों की देखभाल व बचाव का कार्य करता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद से लगभग एक लाख भारतियों को, जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, समान अधिकार दिलाने की उन्होंने पैरवी की। उन्होंने भारतियों से परमिट के नये नियम को विरोध करने को कहा। सत्याग्र व अहिसात्मक असहयोग आंदोलन उनके प्रमुख व शक्तिशाली हथियार बने। गांधी का समन्वयवादी सिद्धांत मनुष्य के विवेक की धुरी था और सत्याग्रह और अहिंसा की बुनियादी पर कायम था। गांधी ने अहिंसा के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसकी कसौटी विश्व के सभी धर्मग्रन्थों का मूल थी। इस सन्दर्भ में बात को और अधिक प्रामाणित करने के लिए गांधीजी के कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं।[5,7] गाँधी जी लिखते हैं अहिंसा व्यापक वस्तु है। हिंसा की होली को लपेट में आया हम पामर प्राणी है। जीवै जीव अधारा की बात गलत नहीं है। मनुष्य क्षणभर ही बाह्य हिंसा के बिना नहीं जी सकता। खाते-पीते, उठते-बैठते सब कर्मों से, इच्छा से हो या अनिच्छा से कुछ न कुछ हिंसा तो वे करता ही रहता है। उस हिंसा से निकलने का उसका महाप्रयास हो, उसकी भावना में अनुकम्पा हो। गांधी जो को कभी ये नहीं लगा कि राज्य की हिंसा निन्दीय है अरु क्रांतिकारियों की हिंसा स्वीकार्य है। इस मान्यता के लिए उन्होंने अपने जीवन में काफी लानत मलामत भी सही। इसका तात्पर्य यह है कि गांधीजी करनी और कथनी में कोई भेद नहीं था। वे जिसका विरोध करते थे उस पर मजबूती से खड़े दिखते थे। उनका जीवन प्राण जाए पर वचन नहीं जाए' के सिद्धांत पर आधारित था।

अज्ञानता, अंधविश्वास से मुक्त, विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता को अपनाने वाले तथा हिंसा परमो धर्म: की नीवं डालने वाले महात्मा गाँधी का चिन्तन और दर्शन शान्ति, बन्धुत्व, सहिष्णुता, विकास और एकता जैसे विचारों से अनुप्रमाणित था। गांधीजी के जितने भी सिद्धांत देश व विदेश में प्रतिपादित हुए, उन सब के मूल में संकल्प का ताना-बाना हुआ था। उनका मानना था कि समाज को बदलने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं की एकाग्रता के सहारे सामासिक संस्कृति की बुनियादी रखना चाहते थे तथा व्यक्तित्व के विकास में इसका महत्वपूर्ण अवदान भी समझने थे। वे सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यों के द्वारा देश के लोगों के अहदिकार और कर्तव्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की धुरी समझते थे। वे विचार-विमर्श, परस्पर विनिमय तथा वैज्ञानिक तानों-बानों के सहारे प्रगतिशील विश्व की रचना करना चाहते थे जिसमें युवाओं की सकारात्मक सोच को विशेष महत्व देते थे। उनका मानना था कि हम सभी नियामक शक्ति की सत्ता के अंतर्गत निवास करते हैं इसलिए हमें कभी उस अदृश्य सत्ता के नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। वे इंसानों द्वारा मर्यादाओं को लांघते हुए प्रकृति के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार के घोर विरोधी थे। वे प्रकृति और मनुष्य के बीच ऐसा अभेद संबधं स्थापित करना चाहते थे जो प्रकृति की साधना का मनुष्य की आंतरिक साधना के साथ एकात्म संबंध स्थापित करने में सफल हो सके। गांधी जी का कहना था हिंसापूर्ण समाज में हम अहिंसा को सर्वोच्च मानवीय मूल्य के तौर पर स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं तो हम उसमें अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी उसी मूल्य को स्थापित करने का प्रयास करते हैं।[1,2,3] गांधी की अहिंसा पारम्परिक धार्मिक अहिंसा से भिन्न इस अर्थ में है कि वह किसी धार्मिक आदर्श और किसी धार्मिक मूल्य की अनुगामी नहीं है बली वह तरह-तरह के धर्माचरणों कीकसौटी पर स्वयं खड़ी दिखाई देती है। गाँधी जी के लिए अहिंसा केवल आदर्श नहीं है बल्कि बुनियादी जीवन मूल्य भी है। संयम और करुणा की व्याख्या करते हुए गाँधी जी ने लिखा है, संयम केवल दूसरे पर की जाने वाली कृपा नहीं है बल्कि खुद की जीवन को जीने के लिए बुनियादी बोध है।
संसार का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, हिंसा का उपदेश देता हो या मार्ग बताता हो। विश्व में जितने भी चर-अचर प्राणी हैं, उन सबमें एक दूसरे के प्रति सहयोग, आपसी भाई चारा, परस्पर सदभाव, सर्वधर्म समभाव का तत्व विराजमान है। गांधीजी की आंतरिक साधना और दिनचर्या में भी मानव अधिकारों की साफ झलक दिखाई पडती है। अपनी दैनिक दिनचर्या में दूसरों के अधिकारों का हनन न हो, इसका उनहोंने हमेशा ध्यान किया, चाहे वो पूजा का समय हो, चाहे वो रात्रि में सोने का समय हो, चाहे वो साधना का समय हो, सब में वे इस बाद ध्यान रखते थे कि मेरे कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत एंव समष्टिगत अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो। वे कर्म पर आधारित विश्व की संरचना को देखना चाहते थे। उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था उतनी ही प्रिय थी जितनी भारतीय कर्म व्यवस्था। वे दोनों के परस्पर सहयोग से एक ऐसे विश्व की नींव रखना चाहते थे जिसमें धर्म, कर्म, जाती, उंच-नीच, सब कुछ एक में समा जाए और विश्व का अस्तित्व "सर्वे भवन्तु सुखिन" एवं ईशावास्यमिदम, सर्वम – जगन्या जगत' के सिद्धांत पर कायम रहे। गाँधी जी उपनिषद के इस मंत्र से बहुत ही प्रभावित थे और इसे वे सार्वभौम मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति का तथा ऋषियों की वाणी का अनोखा वरदान समझते थे। वे इसके घोर विरोधी थे कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ बच्चा, पैदा होते ही कुलीन वशं का माना जाएगा। अपने आश्रम में भी इस भेद-भाव के प्रति उनका गुस्सा हमेशा फूटता रहता था और वे कभी-कभी आश्रम के लोगों को सख्त हिदायत देते रहते थे कि हामरे आश्रम में कोई भी व्यक्ति उंच-नीच की मानसिकता न रखे, परस्पर सदभाव से रहे और सब में ईश्वर का वास देखें, क्योंकि उनके दर्शन में इंसानियत को खास महत्व दिया गया है। वे इंसानियत के चश्मे से सभी धर्मों के प्रमुख ग्रथों का प्रारायण करते थे। वे कहा करते थे कि सभी जाति के इंसानों के खून का रंग का ही होता है। यदि ईश्वर के द्वारा जाति को प्रधानता दी जाती तो वे उनके लहू के रंग को भी अलग-अलग बना देते ।[5,7,8] वे हमेशा कहा करते थे, चाहे हिन्दू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई का हो या सिख का हो, लहू का रंग एक ही होता है। इस सबंध में वे आश्रम वासियों को हमेशा के उदाहरण देकर कहा करते थे कि जिस प्रकार कफन और हवन के धुन्धों के रगों को कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार इंसानियत के लहू के रंग में भी कोई अंतर नहीं होता है। उनका मानना था कि अँधेरा जितना घना होता है, दीपक उतना ही प्रासंगिक होता है। उनकी साधना "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धांत पर आधारित थी, और उनकी सोच "एकम सद विप्रा वदन्ति' पर आधारित थी।
वे मन, कर्म, वचन तीनों से एक थे वे कह सके कि "मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनका कहना था कि सत्य शाश्वत है। वे सत्य के अवतार थे और अपने जीवन में वे 'सत्यमवद, धर्ममचर' का अक्षरशः पालन करते थे और आश्रमवासियों को भी इसी सूत्र में बंधने

की सीख देते थे। वे गीता के कर्म एवं ज्ञान योग के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। वे केवल इसके समर्थक ही नहीं उसे अपने जीवन में ज्यों का त्यों अपनाते भी थे। वे विश्व के सभी धर्म ग्रथों में मावनीय संवेदना मानवाधिकारों, मावनीय गरिमा के सूत्र को खोजते रहते थे, और जो जहाँ जिस रूप में मिलता तथा उसे वे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। इन सूत्रों पर संवाद और बहस भी खूब करते थे। वे उपनिषदों की विचारधारा से विरोध प्रभावित थे तथा उसे ज्ञान की गंगा मानते थे। गाँधी जी आदर्श एंव व्यवहार की शिक्षा के प्रति हमेशा सजग थे और वे कर्म की शिक्षा को सर्वोपरि महत्व देते थे। वे भारतीय चिन्तन धारा के उस मार्ग के अनुयायी थे, जिसमें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की त्रिवेणी बहती है। वह अनुभवजन्य ज्ञान की शलाका के ऐसे तीर्थोदक थे, जिसके स्पर्श मात्र से हो लोग प्रभावित हुए बिना नही रहते थे। उनकी वाणी में राष्ट्र भक्ति और जनकल्याण की अजस्त्र धारा निरंतर बहती थी।

गाँधी – दर्शन से शांति और मानव अधिकार स्थापित होगा

उपरोक्त तत्थों के आलोक में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गाँधी-दर्शन के बिना शान्ति और मानव अधिकारों के संकल्पना बेमानी होगी क्योंकि गांधी जी ने जिस इंसानियट की बुनियादी अवधारणा का बीज बोया उसकी आधारशिला सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, सादगी और सत्याग्रह पर आधारित थी। सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए, गांधीजी ने लिखा है सत्याग्रह का अर्थ है अपने घोर विपक्षी के सत्य में भी, उसकी संभावना में भी आस्था रखना। विश्व में यदि कहीं भी मानव अधिकारों की अवधारणा के संबंध विमर्श व् बहस होगी टी उनमें गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जिक्र अवश्य होगा। यह सर्वदित है कि गांधी जी का जीवन स्वयं अपने लिए नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए समर्पित था। जिसका जीवन हमेशा दूसरों के लिए रहा हो, उससे अधिक परमार्थ व मानव अधिकार की बात करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। उनके जीवन-दर्शन की मूल संकल्पना में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और उसके सम्मान की बातें कूट-कूटकर कर भरी थीं। गाँधी जी मनुष्य के उर्प में अग्रेजों से भी प्राणी होने के कारण प्रेम भाव रखते थे। उन्हें भारत में ही नहीं अपितु विश्व में शान्ति का अग्रदूत, दलितों का मसीहा तथा सेवाभाव को प्रेरित करने वाले जननायक के रूप में जाना जाता है। गाँधी जी मानते थे कि शरीर सेवा के लिए प्राप्त है और ह्रदय आत्म दर्शन के लिए। गाँधी जी ने अपने जीवन में केवल सत्य का प्रयोग ही नहीं किया बल्कि उसको जीया भी। उनका विचार था केवल सत्य बोलने से ही मनुष्य एंव विश्व का कल्याण नहीं होगा बल्कि अपनी अंतरात्मा में रखते हुए सत्य को जीने की कला लानी होगी। ज्ञान और कर्म की साधना करने वाले तथा गीता के दर्शन को पाने जीवन की बुनियाद बनाने वाले गाँधी की विचारधारा की जड़ में मानवाधिकारों की संकल्पना का बीज स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बत होता है। अहिंसा और सर्व-धर्मसमभाव की गांधी जी की अवधारणा मानव अधिकारों की आधार शिला है।[9,10]

निष्कर्ष

देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) में ई-शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय(भारत सरकार) ने यूज़र की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल, ई ग्राम स्वराज शुरू किया है। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित अकाउन्टिंग में बेहतर पारदर्शिता लाने का है। e-Gram Swaraj Portal को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया है | इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने e-Gram Swaraj App को भी लॉन्च किया है | यह पोर्टल और ऐप देश भर में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करेगा। egramswaraj.gov.in ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायत विकास कार्यो ,उनके खंड और कामकाज की जानकारी देश के सभी लोग प्राप्त कर सकते है | [10]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Original, authentic Gandhi works to go online". DNA India. 28 August 2013. मूल से 19 September 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 July 2020.
2. Gandhi Heritage Portal
3. About Mahatma Gandhi
4. The Collected Works of Mahatma Gandhi
5. Mahatma Gandhi Pictures
6. Sabarmati Ashram
7. Mahatma Gandhi Family Tree
8. स्वराज अभियान (हिंदी चिट्ठा)
9. The Swaraj Foundation
10. Kumarappa Institute Of Gram Swaraj